

पत्रांक-श्रम कंस०-78/2025-259  
बिहार सरकार  
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग  
बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति  
आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन) 2024 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, जमुई के ज्ञापांक (कॉलम 5 में वर्णित) से छात्रवृत्ति हेतु कक्षा Polytechnic में अध्ययनरत 01 छात्र/छात्रा को प्रति छात्र/छात्रा रू० 10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) अर्थात् कुल राशि रू० 10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में दावेदार कामगार/शिल्पकार के अध्ययनरत पुत्र/पुत्री को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

01 दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके पुत्र/पुत्री का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि, कार्य की प्रकृति	पुत्र/पुत्री का नाम एवं आधार संख्या मोबाईल सं०	अध्ययनरत छात्र/छात्रा का कक्षा/संस्थान	श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पिता एवं माता का आधार संख्या	पता	पुत्र/पुत्री बैंक का नाम, खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी	छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत अनुदान की राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कुमकुम देवी, 36, पंकज साह, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, खोतिहर मजदूर	प्रिन्स राज (पुत्र) 5260 4864 2191 मो०-9955533331	तृतीय वर्ष (2025-26) राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज जमुई	813. 15. 09.2025	पिता- 9131 0976 6464 माता- 3588 4981 3953	ग्रा०+पो०- आनंदपुर, था०+प्रखंड- लक्ष्मीपुर जिला-जमुई	IPPB, A/C 008010234858, IPOS0000001	10,000/- (दस हजार रूपए)

कुल:- 10,000/-  
(दस हजार रूपए मात्र)

- उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।
- उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 9) का भुगतान RIGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित पुत्र/पुत्री के बैंक खाते कॉलम 8 में किया जाएगा।

ह०/-  
(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम कंस०-78/2025-259

पटना, दिनांक :- 23/02/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित पुत्र/पुत्री को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 9 में स्वीकृत राशि RIGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि रू० 10,000/- (दस हजार रूपए मात्र) बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०डी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar  
Date: 23-02-2026 16:05:49

(रोहित कुमार),  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),  
कार्यकारी निदेशक।